



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 155717

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में वस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्य द्वारा स्वीकार किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

इसमें अमित कुमार सिंह एवम् यामल ली सिंह कनका, अध्यक्ष एवम् राधिवहारी सोसाइटी जय राम सिंह धरमकली लोककल्याण एवम् शिक्षा समिति जैतापुर जनपद कानपुर देठ शपथ पूर्वक निम्न वत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी जय राम सिंह धरमकली लोककल्याण एवम् शिक्षा समिति जैतापुर जनपद कानपुर देठ नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी जय राम सिंह धरमकली लोककल्याण एवम् शिक्षा समिति जैतापुर जनपद कानपुर देठ में गाटा संख्या 126/2, 126/4क, 126/4ग, 127, 126/4ख, 126/3 रकबा 0.1080 हेठ, 0.2050 हेठ, 0.1560 हेठ, 0.7060 हेठ मैसे 0.3040 हेठ कमरा (कुल रकबा 0.8250 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 126/2, 126/4क, 126/4ग, 127, 126/4ख, 126/3 रकबा 0.1080 हेठ, 0.2050 हेठ, 0.1560 हेठ, 0.7060 हेठ मैसे 0.3040 हेठ कमरा (कुल रकबा 0.8250 हेक्टेयर) भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी जय राम सिंह धरमकली लोककल्याण एवम् शिक्षा समिति जैतापुर जनपद कानपुर देठ की बैठक दिनांक 05.02.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी जय राम सिंह धरमकली लोककल्याण एवम् शिक्षा समिति जैतापुर जनपद कानपुर देठ के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी का उन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था फार्मैसी का उन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवम् प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रदेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों फार्मैसी का उन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवम् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवम् पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदिका संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवम् कार्यशालाओं आदिको फार्मैसी का उन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवम् प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एक शैक्षिक स्टॉफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का मालिमातिपालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवम् सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिमहोमा एवम् मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

4 घोषणाकरता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी भेपूरण रूप से सत्य है।
यदि दी गयी जानकारी एवम् अमिलेख / दस्तावेज फजी कूट रचित अथवा श्रुति पूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद
द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जासकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

हो सचिव

श्यामलली सिंह

हो अध्यक्ष

अमित सिंह



I declare this day on
Amrit Singh
of this affidavit have been
explained and who is
by Sr. Amrit Singh
no is personally known to me
Received the fee of Rs. 10

Amrit Singh
Advocate
Govt. Notary, Sikahid
Kanour Dehat